Phone No. 07578-252027 Fax No. 07578-252441

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढ़ी

पत्र क्र0 69/मेला/शिवरात्रि 2018/ दिनॉक :–27/01/2018

अल्पकालीन निविदा सूचना :– शिवरात्रि मेला 2018

यात्रीकर एवं वाहन प्रवेश शुल्क वसूली की निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि छावनी परिषद पचमढ़ी शिवरात्रि मेला 2018 के दौरान यात्रीकर एवं वाहन प्रवेश शुल्क वसूली के अधिकारो की नीलामी पन्द्रह दिवसो हेतु सील बन्द निविदाये आमंत्रित करती हैं। उक्त टेण्डर निम्नलिखित दिनॉक में कार्यालय छावनी परिषद पचमढ़ी में खोले जायेगे। निविदा प्रपत्र के साथ मूल रशीद लगाना अनिवार्य हैं।

क्र0	विवरण	अमानत राशि	टेण्डर जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	टेण्डर खोलने की तिथि एवं समय	न्यूनतम शासकीय राशि	टिप्पणी
1.	यात्रीकर एवं वाहन प्रवेश शुल्क वसूली कार्य दि0 02/02/18 से 16/02/2018	रू0 50000/–	दिनॉक 01/02/2018 के 1300 बजे तक	दिनॉक 01/02/2018 के 1600 बजे से	रू0 900000/– पन्द्रह दिवसो हेतु	

नीलामी संबंधी नियम एवं शर्ते कार्यालीन समय में छावनी परिषद पचमढ़ी कार्यालय में देखी जा सकती हैं एवं छावनी परिषद की वेबसाईट www.canttboardpachmarhi.org पर देखी जा सकती हैं।

सत्यम मोहन भा0र0स0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :–

1. लेखापाल, छावनी परिषद पचमढ़ी– सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय छावनी परिषद – सूचना पटल
3. सूचना पटल – गांधी चौक/जवाहर चौक/न्यू काम्पलेक्स/पंडित टी स्टाल/राजू टी स्टाल/पी0टी0एस0/बस स्टेण्ड/स्टेशन मुख्यालय – सूचना पटल
4. संपादक दैनिक भास्कर, होशंगाबाद एवं भोपाल
5. संपादक दैनिक जागरण, भोपाल
6. संपादक देशबन्धु, भोपाल
7. संपादक हितवाद, जबलपुर
8. श्री अभ्यूदय अग्रवाल, सहा0 प्रोग्रामर, – छावनी परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

Phone No. 07578-252027 Fax No. 07578-252441

कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
छावनी परिषद पचमढ़ी

क्र0 69 / मेला / शिवरात्रि / दिनॉक :- 27 जनवरी 2018

शिवरात्रि मेला 2018

यात्रीकर एवं वाहन प्रवेश शुल्क की नीलामी के नियम एवं शर्ते

1. नीलामी की न्यूनतम शासकीय राशि रू0 9,00,000 / — रखी गयी हैं। अतः निविदाकर्ता को रू0 9,00,000 / — से अधिक की निविदा देना अनिवार्य होगा।

2. सफलतम निविदाकर्ता को निविदा की संपूर्ण राशि 24 घण्टे के अन्दर एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा जमा की गई अमानत राशि को राजसात कर लिया जायेगा एवं नीलामी पुनः की जायेगी। अमानत राशि को जमानत राशि में परिवर्तित कर दिया जायेगा जिसे ठेका समाप्ति पर वापस किया जायेगा।

3. उक्त ठेके की अवधि दिनॉक 02 / 02 / 2018 से 16 / 02 / 2018 पन्द्रह दिवसो तक रहेगी।

4. सफलतम निविदाकर्ता को यात्रीकर रू0 01 / —आना एवं रू0 01 / — जाना (यात्रियो की वास्तविक संख्या के अनुसार) एवं वाहन प्रवेश शुल्क निम्नानुसार वसूल करेगें :—

1. बस,	— रू0 75 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)
2. मिनि बस	— रू0 60 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)
3. ट्रक	— रू0 100 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)
4. मिनि ट्रक	— रू0 60 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)
5. जीप,ट्रेक्स,गामा,सूमो , कार, तीन पहिया वाहन एवं इसी प्रकार के अन्य प्राईवेट वाहन	— रू0 50 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)
6. जीप,ट्रेक्स,गामा,सूमो , कार, तीन पहिया वाहन एवं इसी प्रकार के अन्य वाहन जो टेक्सी के रूप में उपयोग मे लाये जायेगें।	— रू0 50 / — आगमन (छावनी क्षेत्र में)

6. सफलतम निविदाकर्ता उक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त कोई भी अन्य राशि वसूल नही करेगा। अतिरिक्त / अवैध वसूली करते पाये जाने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। तथा उसके द्वारा जमा की गई समस्त राशि को राजसात कर लिया जायेगा।

7. सफलतम निविदाकर्ता को रशीद गड्डी छावनी परिषद द्वारा प्रदान प्रारूप के अनुसार स्वयं छपवाना होगा। ठेका समाप्ति पर उपयोग मे की गई रशीद गड्डीयो को छावनी परिषद कार्यालय मे जमा करना अनिवार्य होगा।

8. ठेकेदार द्वारा वसूली हेतु लगाये गये कर्मचारीयो की सूची को छावनी परिषद कार्यालय में नाका संचालन से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. प्रत्येक कर्मचारी के पास परिचय पत्र होना अनिवार्य होगा। जो ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

10. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी कभी भी नाके के औचक निरीक्षण के लिये अधिकृत होगा। अगर कोई अनियमित्ता पाई जाती हैं तो ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

11. छावनी परिषद के नाके पर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि जैसे शराब इत्यादि का सेवन नही होगा। अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

12. छावनी परिषद द्वारा नाके पर प्रदान अथवा लगाई गई कोई भी सामग्री जैसे सी0सी0टी0वी कैमरा, टीन भोड, फर्नीचर इत्यादि किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त होने पर उक्त सामग्री की क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

13. सफलतम बोलीकर्ता को अनुबंध निषपादन हेतु रू0 500/– का स्टाम्प पेपर स्वयं के व्यय पर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद पचमढ़ी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

दि0 27/01/ 2018

सत्यम मोहन, भा0र0सं0से0
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद पचमढ़ी

प्रतिलिपि :–

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड– सूचना पटल
2. श्री अभ्यूदय अग्रवाल,सहा0प्रोग्रामर – नीलामी सचूना एवं उसकी नियम एवं शर्ते छावनी वेबसाईट पर प्रकाशित करें।